

प्रेषक,
सुधीर गर्ग,
प्रमुख सचिव,
उ.प्र. शासन।

सेवा में,
जिलाधिकारी,
रायबरेली।

राजस्व अनुभाग:-10

लखनऊ:दिनांक:-21 जुलाई, 2022

विषय:- कोविड-19 के रोकथाम, उपचार व बचाव के लिए कार्यरत कार्मिकों की मृत्यु की दशा में उनके आश्रितों को रु. 50.00 लाख की एकमुश्त अनुग्रह धनराशि दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक राजस्व अनुभाग-11 के शासनादेश संख्या-249/1-11-2020-04(जी)/2015 टी.सी. दि० 11.04.2020, शासनादेश संख्या-411/1-11-2020-04(जी)/2015 टी.सी., दि० 22.06.2021 एवं राजस्व अनुभाग-10 के शासनादेश संख्या-1394/एक-10-2021-33(08)/2021, दि० 26.07.2021 द्वारा कोविड-19 की रोकथाम, बचाव व उपचार में लगे कार्मिकों की कोविड-19 संक्रमण से मृत्यु की दशा में उनके आश्रितों को रु. 50.00 लाख की एकमुश्त अनुग्रह धनराशि दिये जाने का प्राविधान किया गया है।

2- उपरोक्त शासनादेशों में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत आपके जनपद से प्राप्त प्रस्तावों के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कोविड-19 के संक्रमण से मृत्यु के फलस्वरूप उनके आश्रितों को रु. 50.00 लाख की एकमुश्त अनुग्रह धनराशि प्रदान करने हेतु रु० 50,00,000/- (रु० पचास लाख मात्र) की धनराशि निम्नलिखित विवरण / शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन कॉलम-8 में अंकित सम्बन्धित जनपदों के जिलाधिकारी के निर्वर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि लाख रु. में)

क्र० सं०	जनपद, आवेदनसंख्या, कोविड ट्रैक पोर्टल न०	नाम, लिंग, पिता, तहसील, शहरी क्षेत्र का नाम	पता	विभाग, पद, संपर्क नंबर, मृत्यु की तिथि	कोविड ट्रैकपोर्टल पर दर्ज की स्थिति	स्वीकृत की जानेवाली धनराशि	स्वीकृत कुल धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	जनपद: RAE BARELI, आवेदन संख्या: REG00001215, कोविड ट्रैक पोर्टलन०:	नाम: कृष्ण नारायण मिश्रा, लिंग: Male, पिता: संकटा प्रशाद मिश्रा, तहसील: Salon, शहरी क्षेत्र का नाम :-Salon	naugavan jari Bazar PRAYAGRAJ	विभाग: पुलिस विभाग, पद: मुख्य आरक्षी चालक, संपर्क नंबर: 6307419344, मृत्यु की तिथि: 13/12/2020	PYJN00172 05492	50	50

1- जिस मद में शासन द्वारा धनराशि स्वीकृत की जा रही है, उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा, अन्य किसी भी मद/विभागीय कार्य हेतु धनराशि का व्यय कदापि न किया जाये।

2- राजस्व अनुभाग-11 के राजस्व अनुभाग-11 के शासनादेश संख्या-249/1-11-2020-04(जी)/2015 टी.सी. दिनांक 11.04.2020, शासनादेश संख्या-411/1-11-2020-04(जी)/2015 टी.सी., दिनांक 22.06.2021 एवं राजस्व अनुभाग-10 के शासनादेश संख्या-1394/एक-10-2021-33(08)/2021, दिनांक 26.07.2021 में निहित प्राविधानों / शर्तों के आलोक में जिलाधिकारी प्रत्येक प्रकरण का स्वयं सम्यक परीक्षण कर लेंगे तथा यह सुनिश्चित होने के उपरान्त ही सम्बन्धित कार्मिक की ड्यूटी कोविड-19 की रोकथाम, बचाव अथवा उपचार में लगायी गयी थी एवं कोविड के संक्रमण से ही उसकी मृत्यु हुयी है। जिलाधिकारी पूर्ण संतुष्ट होने के उपरान्त ही सम्बन्धित कार्मिक के आश्रितों को अहेतुक सहायता धनराशि की स्वीकृति एवं वितरण करेंगे।

3- स्वीकृत धनराशि आहरित कर बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी, अपितु आपदा से प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को राहत प्रदान किये जाने की शासन की शीर्ष प्राथमिकता के दृष्टिगत स्वीकृत की जा रही धनराशि का पारदर्शी एवं त्वरित ढंग से वितरण किये जाने हेतु वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-ए-1-803/10-2013-10(28)/2011, दिनांक 10.10.2013 (उक्त शासनादेश पूर्व में सभी मण्डलायुक्त / जिलाधिकारी गण को प्रेषित किया जा चुका है, जिसे राहत की वेबसाईट पर देखा एवं प्राप्त किया जा सकता है) में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सम्बन्धित जनपदीय कोषागार से सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ई-पेमेन्ट के माध्यम से ही भुगतान सुनिश्चित किया जाये।

4- राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशि का जिलास्तर पर समुचित लेखा-जोखा रखा जाये तथा माह के अन्त में जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा और मदवार मासिक विवरण निर्धारित प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत आयुक्त की वेबसाईट <https://rahat.up.nic.in> पर फीड करवाना सुनिश्चित किया जाये।

5- राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशियों के उपभोग/समर्पण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-2/1-11-2013-रा.-11, दिनांक 04.03.2013 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि में से यदि कोई बचत / अवशेष की स्थिति बनती है, तो उसे वित्तीय वर्ष के समापन दिनांक 31.03.2023 से पूर्व शासन को नियमानुसार समर्पित कर दिया जाये।

6- उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्रों वताय हस्तपुस्तक खण्ड-5, भाग-1 के प्रारूप 369-एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या-42 आई में शासन को उपलब्ध कराया जाये।

7- व्यय की गयी धनराशि का महालेखाकार कार्यालय में सही मर्दों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित करकर शासन को सूचित किया जाये।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय **रु० 50,00,000/- (रु० पचास लाख मात्र)** वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-05-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड-800-अन्य व्यय-06-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-09-राज्य सरकार द्वारा घोषित अन्य आपदाओं हेतु स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-15/2021/बी-1-829/दस-2021-231/2022, दिनांक- 30 दिसंबर, 2021 एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या: 5/2022/बी-1-224/दस-2022-231/2022 दिनांक- 29 मार्च 2022 मे प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,


(सुधीर गर्ग)
प्रमुख सचिव।

संख्या-1364(1)/एक-10-2022-33(06)/2020 तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, उ०प्र०, प्रयागराज।
- 2- सम्बन्धित मण्डलायुक्त ।
- 3- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ०प्र०, लखनऊ।
- 4- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त संगठन, उ०प्र०।
- 5- विशेष सचिव/नोडल अधिकारी बजट आवंटन (ई-बजट), राजस्व विभाग, उ०प्र०।
- 6- सम्बन्धित जनपद के कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी।
- 7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5 ।
- 8- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,



(राम केवल)

विशेष सचिव।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2022-2023
आवंटन दिनांक-25/07/2022


प्रेषण संख्या:- 1364
आवंटन आदेश संख्या:- 001-1364
अनुदान संख्या:- 51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2022-2023 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत(आयोजनेत्तर-मतदेय)
05 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड
800 - अन्य व्यय
06 -
09 - राज्य सरकार द्वारा घोषित अन्य आपदाओं हेतु स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से व्यय

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		42-अन्य व्यय	योग
1	रायबरेली-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	5000000 25000000	5000000 25000000
	योग	वर्तमान प्रगामी	5000000 25000000	5000000 25000000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया पचास लाख

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया दो करोड़ पचास लाख


(अखिलेश प्रताप सिंह)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
(अखिलेश प्रताप सिंह)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
राहत आयुक्त कार्यालय
उ० प्र० शासन।